

सं.सं0-7/जिला चिकित्सा पदा0-19-01/2017 78(7)9
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
मुजफ्फरपुर, शिवहर, पश्चिम चम्पारण, नालन्दा, पूर्णिया, भागलपुर एवं लखीसराय।

पटना, दिनांक : 25-09-17

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते इकाईयो में कुल ₹2,10,00,000/- (दो करोड़ दस लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत आवंटनादेश संख्या- 07 (7)ब दिनांक- 15.05.17, 29(7)ब दिनांक-23.06.17, 46(7)ब दिनांक-17.08.17, 48(7)ब दिनांक-24.08.17 63(7)ब दिनांक- 20.09.17 एवं 69(7)ब दिनांक-22.09.17 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते इकाईयो में कुल ₹2,10,00,000/- (दो करोड़ दस लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।


4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना एवं सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना / 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संकामक रोग कर्मचारी वर्ग / मोटर चालक/ मोटर बोट सारंग चालक/ अधीक्षण उप योजना के अन्य मदों के भुगतान हेतु संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुरत में तुरत करेगे तथा उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।



1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. इससे अवमाननावाद संख्या-1674/2012 में हुए न्याय निर्णय के आलोक (अभ्युक्ति में दिये गये सूची अनुसार) में भुगतान किया जायेगा, अगर राशि की कमी होती है तो संबंधित संस्थान में उपलब्ध राशि से जोड़कर भुगतान करें । भुगतान उपरान्त राशि के बचत होने की स्थिति में इस शीर्ष के आवश्यकता आधारित भुगतान भी किया जा सकता है । भुगतानोपरान्त राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग विभाग से करेंगे ।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासमाजन,

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

रुजि

ज्ञापांक : 78(7)0

पटना, दिनांक : 25-09-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-03, 7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

रुजि

विवरणी

07 जिला यथा मुजफ्फरपुर, शिवहर, पश्चिम चम्पारण, नालन्दा, पूर्णिया, भागलपुर एवं लखीसराय के सिविल सर्जन कार्यालय एवं संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी कर्मचारी तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अधीन 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संकामक रोग कर्मचारी वर्ग / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर चालक/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर बोट सारंग चालक/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अधीन अधीक्षण उपयोजना/ सिविल सर्जन, भागलपुर के अधीन दंत इकाई/ शैक्षणिक प्रशिक्षण योजना, पटना अन्तर्गत कर्मचारी एवं पदाधिकारी का वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ता मर्दों में अतिरिक्त आवंटन :-

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	अभ्युक्ति अवमाननावाद संख्या
1	2	(01-01) 3	(01-03) 4	(01-04) 5	(01-06) 6	(01-07) 7	8	1674/2012 में हुए आदेश के आलोक में भुगतान हेतु 9
1	मुजफ्फरपुर	100000	1460000	1000000	40000	400000	3000000	श्रीमती उषा सिन्हा, पत्नी-स्व0 डा0 अर्जुन प्रसाद सिंह
2	शिवहर	100000	1460000	1000000	40000	400000	3000000	डा0 मो0 जफर आलम
3	पश्चिम चम्पारण	100000	1460000	1000000	40000	400000	3000000	डा0 कुमकुम प्रसाद
4	नालन्दा	100000	1460000	1000000	40000	400000	3000000	डा0 राम विलास रंजन
5	पूर्णिया	100000	1460000	1000000	40000	400000	3000000	डा0 उपेन्द्र प्रसाद शर्मा
6	भागलपुर	100000	1460000	1000000	40000	400000	3000000	डा0 (श्रीमती) प्रतिमा मोदी
7	लखीसराय	100000	1460000	1000000	40000	400000	3000000	डा0 धर्मदेव सिंह
	कुल	700000	10220000	7000000	280000	2800000	21000000	

(दो करोड़ दस लाख) रू0 मात्र

78 (7)A
25-09-17


सरकार के विशेष सचिव
रजी

उपबंध की स्थिति - विपत्र कोड 20-2210010010002

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	15000000	148370000	700000	149070000	930000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	20000000	186945500	1022000	197165500	2834500
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	37237000	29066700	7000000	36066700	1170300
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	1028000	713070	0	713070	314930
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	2052000	1671442	280000	1951442	100558
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	9183000	6266000	2800000	9066000	117000
7	त्यौहार अग्रिम (0002-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	400000000	373032712	21000000	394032712	5967288
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	500000	439307	0	439307	60693
9	यात्रा व्यय (0002-11-01)	650000	646000	0	646000	4000
10	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	3000000	2515000	0	2515000	485000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	3000000	2850000	0	2850000	150000
12	दूरभाष (0002-13-03)	300000	300000	0	300000	0
13	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	6550000	6170000	0	6170000	380000
14	विधि प्रभार (0002-13-05)	2000000	2000000	0	2000000	0
15	वर्दी / पोशाक (0002-13-06)	300000	241500	0	241500	58500
16	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	1110000	828000	0	828000	282000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2521000	0	0	0	2521000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	1500000	1420000	0	1420000	80000
19	दवा भंडार (0002-21-02)	2400000	2300000	0	2300000	100000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	सविदा सेवारं (0002-28-02)	1000000	946000	0	946000	54000
22	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	424833000	393688519	21000000	414688519	10144481

78(7)अ

25-09-17


 सरकार के विशेष सचिव
 डीजी